RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-11
November -2019

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[Peer Reviewed Journal]

समाज में मुस्लिम महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता : एक समीक्षात्मक अध्ययन

डॉ0हिना निशात

असि0प्रो0–समाजशास्त्र विभाग करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स पी0जी0 कालेज लखनऊ,(उ0प्र0)

सामान्यतयः सभी समाज में मुस्लिम स्त्रियों की परिस्थिति निम्न है। भारतीय समाज में भी अधिकतर मुस्लिम स्त्रियों का जीवन पुरुषों के नियंत्रण में व्यतीत होता है। हमारे समाज में पुरुष और स्त्री के महत्व तथा स्थान और परिस्थिति में भी अंतर रहा है। भारत में मूलतः मुस्लिम महिलाओं की समस्याएं भी अन्य महिलाओं की समस्याओं की भाँति ही सामाजिक सन्दर्भों मे देखी जा सकती है। मुस्लिम कानून के द्वारा यद्यपि स्त्री तथा पुरुषो को समान सामाजिक अधिकार दिये गये हैं, लेकिन व्यवहार में मुस्लिम समाज में ऐसे सभी अधिकार अर्थहीन हैं। स्त्री व पुरूष दोनों समाज का अपरिहार्य अंग है। किसी भी देश के लिए जनशक्ति का विशेष महत्व होता है, जिसमें स्त्री व पुरूष दोनों सम्मिलित है क्योंकि ये दोनों समाज का अपरिहार्य अंग है। यदि किसी भी देश को विकसित करना है तो सबसे पहले महिलाओं का विकास करना होगा, क्योंकि महिला ही समाज की जननी होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मुस्लिम महिलाओं को भी समान अधिकार प्राप्त हुआ परन्तु आम धारणा है कि इन महिलाओं का सामाजिक पक्ष इस्लाम की कुछ निजी व अपरिवर्तनीय विशेषताओं का मोहताज है या उनका कानूनी पक्ष केवल मुस्लिम कानून पर आधारित है। इस धारणा के कारण मुस्लिम महिलाओं को भारतीय समाज में एक अलग वर्ग की तरह देखा जाता है जो उनकी सांस्कृतिक रूढ़िबद्धता को पुर्नस्थापित करके समकालीन सच्चाईयों को धुंधला कर देती हैं। आजादी के 72 वर्ष पूरे होने के बाद भी मुस्लिम महिलाएँ अपने समुदाय में भारत के नागरिक के रूप में और भारत के सबसे बडे अल्पसख्यक समुदाय के सदस्य के रूप में अनेक चुनौतियों का सामना कर रही हैं और उनकी परिस्थिति सोचनीय बनी हुई है। आंकडे बताते हैं कि मुस्लिमों में व्यापक निरक्षरता व्याप्त है, उनमें शिक्षा का स्तर और गुणवत्ता दोनों ही निम्न है–यदि वर्ष 2011 की जनगणना का आंकलन किया जाए तो देश की कुल साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत थी, पुरुष साक्षरता दर 82.14 प्रतिशत, जबकि महिला साक्षरता दर 64.46 प्रतिशत थी। सात वर्ष से ज्यादा आयु वर्ग के मुस्लिमों में साक्षरता दर 57.28 प्रतिशत तथा मुस्लिम महिलाओं की साक्षरता दर 51.9 प्रतिशत थी। 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिमों की कुल आबादी का 2.75 प्रतिशत हिस्सा स्नातक या उससे अधिक शिक्षित है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी 36.65 प्रतिशत है। 6 से 14 साल की उम्र के 25 प्रतिशत मुस्लिम बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित हैं। अतः मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा में निम्न स्थिति भी इनकी प्रमुख चुनौतियों में से एक है। मुस्लिम समाज में शिक्षा का प्रभाव अन्य भारतीय समाजों की अपेक्षा कुछ कम दृष्टिगोचर रहा है। तालिका संख्या : 1 से स्पष्ट होता है कि अन्य धर्मो कि महिलाओं में साक्षरता का प्रतिशत अधिक है। इस्लामिक संस्कृति भले ही कितनी गतिशील हो अब भी परिवर्तन के विरुद्ध रुढ़िवाद एवं अपनी पुरानी मूल व्यवस्था को बनाये रखने का प्रयास करती है। अतः मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा में निम्न स्थिति भी इस समुदाय की एक बडी चुनौती है।

तालिका संख्या : 1

विभिन्न धर्मों में स्त्रियों की शैक्षिक स्थिति (प्रतिशत में)

धर्म	स्त्रियों में साक्षरता (प्रतिशत)
मुस्लिम	51.90
हिन्दू	55.98
ईसाई	71.97
सिख	63.29
बौद्ध	65.60
जैन	84.93
अन्य धर्मों में	41.38

(स्रोत : जनगणना, 2011)

वर्तमान शिक्षा पद्धति मुस्लिम महिलाओं के लिए बाधक है, इनकी वजह से दाखिला और पढ़ाई जारी रखने की दर अत्यधिक कम है। इस निराशजनक स्थिति में आशा की किरण है कि लड़कियां स्वयं पढ़ना चाहती हैं। सभी बोर्ड में मुस्लिम लड़कियों में शिक्षा के प्रति लगन और उत्साह दिख रहा है। आमतौर पर आसपास कम स्कूल होने की वजह से मां बाप के पास बच्चों की पढ़ाई के दो ही विकल्प बचते हैं महंगे निजी स्कूल या मदरसे। सम्पूर्ण समाज में लड़कियां उपेक्षा का शिकार होती हैं, क्योंकि गरीबी या अन्य वजहों से सिर्फ लड़कों को ही निजी स्कूलों में पढ़ाई के लिए भेजा जाता है, इसलिए मुस्लिम महिलाओं की अशिक्षा का कारण सिर्फ रूढिवादिता नही, बल्कि गरीबी और सामाजिक मजबूरी भी है, जिस कारण वे आधुनिक व धर्म निरपेक्ष शिक्षा से वंचित हैं। स्कूल में नामांकन या छात्रवृत्रि के समय मुस्लिम महिलाएं प्रशासनिक भेद–भाव का शिकार होती हैं। वर्तमान में बढ़ते हुए सांप्रदायिक झगड़ों की वजह से असुरक्षा की भावना के शिकार मुस्लिम माता–पिता सार्वजनिक यातायात का उपयोग कर

RRIJM 2015, All Rights Reserved

अच्छे स्कूल में लड़कियों को भेजने में संकोच करते हैं। ऐसा अक्सर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद होता है, जिससे लड़कियों के पढ़ाई छोड़ने की दर बढ़ जाती है। सरकारी स्कूल में उर्दू के खिलाफ व्यवस्थित रूप से भेद–भाव भी उनके पढ़ाई से दूर होने के प्रमुख कारणों में हैं। देश के अधिकतर राज्यों के स्कूल कोर्स से उर्दू को हटा लिया गया है, इसलिए भी मां–बाप अपने बच्चों को मदरसे में भेजना अधिक पसंद करते हैं। महिलाओं की पहचान परंपरा निभाने वाली के रूप में होने और उनके नौकरियों से दूर रहने के कारण भी ऐसा अधिक होता है। कुछ लोग उर्दू की शिक्षा को संस्कृति से जोडकर देखते हैं, इसलिए लड़कियों को उसका पोषक माना जाता है। इसके अलावा नियमित शिक्षा से नौकरी पाने की कम उम्मीद होने के चलते इसे प्राथमिकता नहीं दी जाती।

मुस्लिम महिलाओं के सामने पर्दा प्रथा भी महत्वपूर्ण चुनौती है। मुस्लिम परिवारों में पर्दा को एक महत्वपूर्ण सामाजिक मूल्य के रूप में देखा जाता है इसके फलस्वरूप स्त्रियाँ घर के बाहर ही पर्दे में नहीं रहती बल्कि परिवार के अंदर भी उनसे पर्दा के नियम के पालन की आशा की जाती है। मुस्लिम महिलाओं में पर्दे की प्रथा भी बहस का मुद्दा बनती रही है। इसके संबंध में प्रायः अतिवादी रवैया अपनाया जाता रहा है। कुछ लोग पर्दे का नितांत विरोध करते दिखाई देते हैं तो कुछ लोग पर्दे के पूरे समर्थन में खड़े दिखाई देते हैं। इस संबंध में हिजाब या पर्दा इस्लाम में महिलाओं पर बंदिश या पाबंदी के रूप में नहीं रखा गया है। यह इस्लाम के आदेशों पर अमल करने का उत्साह रखने वाली महिलाओं की पसंद और अधिकार का विषय है। वे पर्दे में अपना मान–सम्मान और मर्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। पर्दे में वे न केवल मौसम के दुष्प्रभाव और प्रदूषण से स्वयं को बचा पाती है बल्कि यौन हिंसा और छेड़खानी से भी सुरक्षित रहती हैं। इन्हीं उद्देश्यों से इस्लाम ने महिलाओं को पर्दे का आदेश दिया है। मुस्लिम महिलाएं पर्दे में रहकर शिक्षा, अध्यापन, नौकरी और व्यापार आदि के अवसरों का पूर्ण लाभ उठाना चाहती है। वे अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करके परिवार, समाज और देश की उन्नति में अपना हाथ बंटाना चाहती हैं। पर्दा महिलाओं का अपना व्यक्तिगत निर्णय होता है।

बाल–विवाह का प्रचलन सभी धर्म के लोगों में देखने को मिलता है। हिन्दू और मुस्लिम दोनो ही समुदाय में बाल–विवाह के आँकडे समान है। 2011 की जनगणना के अनुसार 30.2 प्रतिशत लड़कियों का विवाह 18 वर्ष से पहले कर दिया गया जबकि 2001 में यह आँकडा 43.5 प्रतिशत था। 2011 की जनगणना के अनुसार यह आँकडा 31.3 प्रतिशत हिन्दू लड़कियों में जबकि 30.2 प्रतिशत मुस्लिम लड़कियों में था। मुस्लिम समाज में प्राचीन समय से ही बाल–विवाह का प्रचलन रहा है और जिसकी वजह से उनकी शिक्षा बाधित होती है। अल्प आयु में विवाह होने, सन्तान होने एवं पारिवारिक दायित्व आ जाने के कारण इन महिलाओं का स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस्लाम धर्म में युवतियों को जीवन–साथी के चुनाव की स्वतन्त्रता दी गयी है परन्तु व्यावहारिक रूप से समाज में बहुत कम परिवारों में युवतियो को स्वतन्त्रता प्राप्त होती है। कई बार मुस्लिम लड़कियों में शिक्षा का स्तर निम्न होने के कारण उनका वैवाहिक जीवन सफल नहीं होता है।

दहेज प्रथा–:

शैक्षिक पृष्ठ भूमि और आय का स्तर जो भी हो परन्तु सभी जातीयां और समुदाय लंबे समय से दहेज प्रथा अपनाये हुये है। अतः मुस्लिम समाज भी इससे अछुता नही रहा जबकि पवित्र कुरान–ए–पाक में दहेज का कहीं भी वर्णन नहीं मिलता है। इस्लाम के वैवाहिक नियमों के अनुसार निकाह के बाद पति द्वारा पत्नी को आर्थिक सुरक्षा के रूप में मेहर दिया जाता है। इस्लामिक तौर–तरीकों में एक उर्द शब्द जहेज़ का उपयोग होता है जिसका संबंध शादी से है। इसका अर्थ है कुछ चीजें उपलब्ध कराना जैसे दुल्हन का साज–सामान, मूल्यवान चीजें और गहनें आदि। मुस्लिम धर्म गुरू जहेज़ की इजाजत तो देते है पर कुछ हद तक। पिछले तीन दशकों में जहेज़ का मतलब दहेज हो चुका है। समय के साथ–साथ दहेज ओर खर्चीला होता गया और जो दहेज नहीं दे सकते उनके लिए गंभीर समस्या बन गयी है। अब्दुल वाहीद ने अपनी शोध "भारतीय मुस्लिमों के बीच दहेज प्रथा" में कहा कि मुस्लिम महिलाएं दहेज प्रथा की शिकार है और उन्हें काफी अधिक उत्पीडन झेलना पडता है। जिसका कारण उन्होने भारतीय मुस्लिमों के रीति–रिवाज, परंपराए और सामाजिक संस्थाएं 'इस्लामिक' से अधिक भारतीय है, को माना है।

तलाक–:

मुस्लिम महिलाओं के समक्ष एक गंभीर चुनौती है ट्रिपल तलाक अर्थात एक श्वास में तीन बार तलाक–तलाक–तलाक कह दिया ओर तलाक हो गया, इसका असर यकीनी तौर पर मुस्लिम महिलाओं की स्थिति पर होता है। इसकी शिकार अधिकाँश गरीब महिलाएं होती है। जबकि पवित्र कुरान–ए–पाक में एक श्वास में तीन बार तलाक बोल देने का कोई वर्णन नहीं मिलता है परन्तु व्यवहारिक तौर कुछ हदीसों का सहारा लेकर धर्म गुरूओं ने इसे उचित ठहराया है और यह मुस्लिम महिलाओं के लिए चुनौती बन कर रह गया है। मुस्लिम समाज में विवाह विच्छेद की प्रचलित इस प्रणाली का दुरूपयोग होने से मुस्लिम महिलाओं की स्थिति शोचनीय बना दिया, इससे न केवल मुस्लिम पुरूष को एकाधिक विवाह के अवसर प्राप्त होते है अपितु मुस्लिम महिलाओं के समक्ष जीवन यापन तक संकट उत्पन हो जाता है। अधिकतर मुस्लिम महिलाएं एक श्वास में तीन बार तलाक बोलने को ना केवल कानून विरूद्ध अपितु कुरान शरीफ व हदिसों के हवाले से धर्म

RRIJM 2015, All Rights Reserved

विरूद्ध भी मानती है और प्रगतिशील मुस्लिम विचारकों द्वारा भी यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ये खुदा द्वारा नापसन्दीदा में भी सबसे नापसन्दीदा कानून है। पवित्र कुरान–ए–पाक में तलाक का उचित नियम कुछ इस प्रकार से वर्णित है कि यदि पति अपनी पत्नी से अलग होना चाहता है तो उसे दो समझदार लोगों के सामने पत्नी को एक तलाक देना चाहिए अर्थात इतना बोलें "मैं तुम्हें तलाक देता हूँ"। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि तलाक केवल एक बार बोली जाए, न कि तीन बार, यह इस्लाम के खिलाफ है। इस एक तलाक के बाद पत्नी तीन माह तक, इद्दत के समय, पति के ही घर रहेगी और उसका खर्च भी पति ही उठायगा, लेकिन उनके बिस्तर अलग होंगें। इससे आशा रहती है कि इन तीन माह में सब कुछ ठीक हो जाए। यदि आपसी सहमती बन जाए तो दोनों एक साथ रह सकते है, इसे "रूजू" करना कहते है। ऐसा केवल वैवाहिक जीवन में दो बार ही किया जा सकता है, इससे अधिक नहीं (सूरह बक़रह, आयत–229)। पति रूजू न करे तो इद्दत का समय पूर्ण होने पर पति–पत्नी का वैवाहिक संबंध समाप्त हो जाएगा।

पितृसत्तात्मकता –:

मुस्लिम समाज में महिलाओं की स्थिति इस्लाम की मान्यताओं के दायरे में परिभाषित की जाती हैं। कुरान की आदर्श व्याख्या के अनुसार महिला एवं पुरूष दोनों खुदा के बन्दें है तथा दोनों की स्थिति समान है। निर्णय लेने का अधिकार हर व्यक्ति को होता है, जिसमें महिलाओं का भी अहम् स्थान है जो कि हमारे देश की कुल आबादी का लगभग आधा हिस्सा है। निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका उनकी स्वायत्तता या स्वतंत्रता को दर्शाती है निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका प्राकृतिक और सीमित होती है।

पारिवारिक दायित्व–:

परिवार का उत्तरदायित्व महिला सहभागिता के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। मुस्लिम समाज की पितृसत्तात्मकता ने नारी का कार्यक्षेत्र घर की चारदीवारी में निर्धारित किया हुआ है। मुस्लिम महिलाओं के परिवार का आकार प्रायः बड़ा पाया जाता है, वह संयुक्त परिवार को वरीयता देती हैं और उनके पारिवारिक उत्तरदायित्व भी अन्य समाज की महिलाओं की अपेक्षा अधिक हैं। ऐसे में योग्यता एवं क्षमता होने के बावजूद पारिवारिक दायित्वों के निवर्हन में अधिकांश समय व्यतीत होने के कारण मुस्लिम महिलाएं सामाजिक एवं राजनीतिक दायित्वों की दिशा में सोच भी नही पाती।

धार्मिक फतवे–:

मुस्लिम समाज कट्टर धार्मिक समाज माना जाता है, क्योंकि अधिकांश भारतीय मुस्लिम जनता अनपढ़ व गरीब है और जनता के इस वर्ग में रूढ़िवादी व्याख्याकार गहरीपैठ रखते हैं। धर्म के ये पैरोकार समय–समय पर महिलाओं की भूमिका व अधिकारों को सीमित करने वाले फतवं जारी करना अपना कर्त्तव्य समझते हैं। मुस्लिम महिलाओं के लिए राजनीति को प्रतिबंधित मानते है। जब भी दृढ़ महत्वाकांक्षी, साहसी, कर्मठ मुस्लिम महिला अपनी योग्यता एवं प्रतिभा के बल पर किसी प्रकार से सामाजिक या राजनीतिक पहचान बनाने का प्रयास करती है तो खुद मुस्लिम समाज ही उसकी सक्रियता के विरूद्व फतवे जारी करने लगते है तथा नकारात्मक संदर्भ द्वारा उनकी सक्रियता को धर्म विरूद्व ठहराया जाता है। जबकि इस्लामिक रिसर्च के अनुसार पैगम्बर मुहम्मद साहब की बीबी ख़दीजा–बिन्त–खुवायलद एक सफल कारोबारी तथा उनकी सलाहकार थी।

आर्थिक पराधीनता–:

प्रायः मुस्लिम महिलाओं द्वारा अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई ना कोई मजदूरी का कार्य किया जाता है। परन्तु उनकी अल्प कमाई घर की आवश्यकताओं को पुरा करने मे खत्म होती है तथा वह स्वयं के लिए सोच नही पाती। यह भी एक तथ्य है कि आर्थिक रूप से महिला पुरूष पर आश्रित है, यही कारण है कि राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में भी महिला स्वायत्त निर्णय लेने में अक्षम हैं। प्रजातंत्र में किसी भी प्रकार की राजनीतिक एवं सामाजिक सहभागिता के लिए महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता अति आवश्यक है जबकि मुसलमानों में बेरोजगारी का हाल ये है कि अपने ही घरों में काम करने की मुस्लिम महिला कामगारों की प्रतिशतता सभी श्रमिकों की तुलना में बहुत अधिक है, मुसलमानों में यह प्रतिशत 70 है तो सभी श्रमिकों की प्रतिशतता 51 प्रतिशत।

सुझाव :

उपर्युक्त चुनौतियों के समाधान हेतु सरकारी व गैर सरकारी दोनों स्तरों पर गभीर प्रयास करने होगें। सरकार द्वारा जहाँ उन्हें शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करनी होगी वहीं उनकी प्रगति में बाधक बने तत्वो का निवारण करना होगा। सरकारी नौकरियों में उनकी भागीदारी बढ़ाने हेतु पर्याप्त प्रयास की आवश्यकता है। महिला शिक्षा हेतु मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में विद्यालयों व महाविद्यालयों की स्थापना करनी होगी जिससे रूढ़िवादी दृष्टिकोण को समाप्त किया जा सके। गैर सरकारी स्तर पर मुस्लिम समुदाय के अन्दर से ही प्रगतिशील राष्ट्रवादी मुस्लिमों को आगे आना होगा। वे स्वंय इस अल्पसख्यक वर्ग में अल्पसख्या में हैं, किन्तु उन्हें अपनी शक्ति संगठित कर, मुस्लिम समाज को दिशा प्रदान करनी होगी। ये उनका कर्तव्य है कि वे अपने धर्म की सही व्याख्या लोगों तक पहुचांऐं। उन्हें सामाजिक, विधिक, शैक्षिक आदि सुधारों के दायित्व का निवर्हन करना होगा। उन्हें मुस्लिम महिलाओं की हर क्षेत्र में भागीदारी को प्रोत्साहित करना होगा।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

निष्कर्ष–:

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि मुस्लिम महिलाओं की चुनौतियाँ सैद्वान्तिक नही वरन् व्यावहारिक हैं। मूलतः मुस्लिम सामाज का आधार कुरान है। समस्या यहाँ से प्रारम्भ होती है कि समय–समय पर धर्म गुरूओं के द्वारा कुरान की गलत व्याख्या करके अपने द्वारा धार्मिक नियमों का निर्माण किया गया। ये नियम आज भी मुस्लिम सामाज को जकडे हुए है और जिन नियमों का निर्माण महिलाओं को पुरुष के समान न रख करके दूसरे स्तर पर रखते है। ये नियम आज भी एक चुनौती है जिससे महिला समाज को मुक्त करना न केवल आवश्यक है, अपितु उन धारणनाओं का विरोध करना है जिन्हें धर्मावलम्बियों ने अपने स्वार्थ के लिए निर्मित किया है। मुस्लिम समाज के शिक्षित व्यक्तियो के आगे धार्मिक बंधन शिथिल पड़ गये हैं। शिक्षा प्राप्ति के लिए धार्मिक कुठाओं को पीछे छोड़ता हुआ एक बड़ा वर्ग सामने आ गया है। जिन मुस्लिम परिवारों में 2–3 दशक पहले पर्दे का अधिक चलन था वहां अब पर्दा नाम मात्र को रह गया है। बदलते परिवेश में मुस्लिम महिलाएं अकेले भी यात्रा करती है और अपने कैरियर के चुनाव के लिए पूर्ण स्वतंत्र है। नौकरियों में भी बड़े शहरों एवं महानगरों में सरलता से अब मुस्लिम समाज की लड़कियों ने प्रवेश किया है। उनके माता–पिता की तरफ से उन्हें अपना व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। पुरूष वर्ग के भी व्यवहार में पूर्णतः बदलाव देखा जा रहा है। जो पुरूष अपनी शिक्षित पत्नी को भी पूर्ण पर्दे में रखते हैं वह भी अपनी बेटी के लिए कोई पर्दे का बंधन नहीं चाहते। इन सभी बातों से धर्म का बंधन शिक्षित और उच्च वर्ग में शिथिल दिखाई देता है। इन परिवारों के मुखिया अपने परिवार के लिए तो पूर्ण बदली हुई मानसिकता रखते है। परंतु समाज में वह धार्मिक विचारधारा को ही प्रदर्शित करते हैं। यद्यपि वे धार्मिक विचार रखते हैं परन्तु शिक्षा प्राप्ति के लिए एवं रोजगार प्राप्ति के लिए अपने पुत्र–पुत्रियों पर किसी प्रकार का बंधन नहीं रखते हैं। अतः आवश्यकता है कि समाज का सम्भान्त वर्ग अपने परिवार के लिए प्रगतिवादी मानसिकता और समाज के मध्यम व निम्न वर्ग के प्रति रूढ़िवादी मानसिकता को समाप्त करें। जबकि वर्तमान में इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए कि मुस्लिम महिलाओं की सोच में परिवर्तन साफ–साफ नजर आ रहा है। अतः इस अध्ययन से ज्ञात होता है कि मुस्लिम घरेलू महिलायें अपनी सोच अपने रहन–सहन में परिवर्तन चाहती हैं। अतः परम्परा, रूढ़ियों प्रथाओं के फलस्वरूप भी शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक, धार्मिक आस्था आदि में परिवर्तन देखने को मिलता है। इस कारण इनकी वर्तमान समस्याओं में कमी आयी है तथा मुस्लिम महिलाओं की पारिवारिक स्थिति में सुधार आ रहा है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची–:

1. सच्चर कमेटी, नई दिल्ली, 2006, पृ.सं. 46
2. सच्चर कमेटी, नई दिल्ली, 2006, पृ.सं. 13
3. शुक्ला, अंजू, मुस्लिम समाज में महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थितिः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, त्मेमंतबी उंहउंए 2017
4. वासे, अख्तरूल, इस्लाम में महिला अधिकार, हम सबला, मई–जून 2009
5. समसामयिक घटनासार, जनसंख्या नगरीकरण (2011)
6. युसुफ, तरन्नुम, भारतीय मुस्लिम महिलाओं का सामाजिक अध्ययन, प्ददवअंजपवद जीम त्मेमंतबी बवदबमचजए 2017
7. वाहीद, अब्दुल, भारतीय मुस्लिमों के बीच दहेज प्रथा, इंडियन जरनल ऑफ जेंडर स्टडीज, सेज पब्लिकेशन,
8. बानू, जेनब, मुस्लिम समाज, महिलाएं एवं मानवाधिकारों का प्रश्न, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 2005 पृ.सं 106
9. कौशिक, सुरेन्द्रनाथ, भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम महिलाओं के मानवाधिकारः सिद्धान्त एवं व्यवहार, पंचशील प्रकाशन जयपुर 2005,पृ.सं. 87
10. खातून, आरिफा मुस्लिम महिलाओं की निर्णय स्वतंत्रताः प्रतिरोध का स्परूप, स्त्रीकाल शोध पत्रिका, 2017
11. सिन्हा, ध्रुवनारायण, सशक्तिकरण की राह पर मुस्लिम महिला, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2010, पृ.सं–133
12. जैन, मंजू, कार्यशील महिलाएं एवं सामाजिक परिवर्तन, प्रिन्टवैल, जयपुर, 2009, पृ.सं. 88

RRIJM 2015, All Rights Reserved